डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 है.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

अनुसूची में संशोधन.

2. अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 में प्रविष्टि (दो) से (चार) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित की जायेंगी, तथा प्रविष्टि (चार) के पश्चात् प्रविष्टि (पांच) अन्तः स्थापित की जायेगी :—

(दो)	रुपये 1,00,000 से अधिक किंतु रुपये 1,50,000 से अधिक नहीं	रुपये 1560 (रुपये 130 प्रति मास)
(तीन)	रुपये 1,50,000 से अधिक किंतु रुपये 2,00,000 से अधिक नहीं	रुपये 1800 (रुपये 150 प्रति मास)

(चार)	रुपये 2,00,000 से अधिक किंतु रुपये 2,50,000 से अधिक नहीं	रुपये 2400 (रुपये 200 प्रति मास)
(पांच)	रुपये 2,50,000 से अधिक	रुपये 2500 (रुपये 208 प्रति मास ग्यारह मास के लिए तथा बारहवें मास के लिए रुपये 212)

उद्देश्यों एवं कारणों का अभिकथन

यह विधेयक वित्त वर्ष 2002-2003 के बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 20 मार्च, 2002.

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 की अनुसूची में वर्तमान प्रविष्टियां

अनुक्रमांक 1 में प्रविष्टियां एक से चार.

अनुक्रमांक 1 में प्रविष्टियां एक से चार

(एक)	रुपये 1,00,000 से अधिक नहीं	निरंक
(दो)	रुपये 1,00,000 से अधिक किंतु रुपये 1,50,000 से अधिक नहीं	रुपये 2100 (रुपये 175 प्रति मास)
(तीन)	रुपये 1,50,000 से अधिक किंतु रुपये 2,50,000 से अधिक नहीं	रुपये 2400 (रुपये 200 प्रति मास)
(चार)	रुपये 2,50,000 से अधिक	रुपये 2500 (रुपये 208 प्रति मास)

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.